

राजस्थान सरकार
निदेशालय पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण,
विद्युत मार्ग, ज्योति नगर, जयपुर (राजस्थान) 302005
ईमेल – dir-pen-rj@nic.in दूरभाष न. 0141-2740538, 2741687
वेबसाइट :- pension.rajasthan.gov.in

क्रमांक :- एफ.12 (26)/कम्प्यू./आईएफपीएमएस/10/118-U

दिनांक : 4/10/2023

समस्त विभागाध्यक्ष

विषय :- सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों के Provisional पेंशन प्रकरणों के संबंध में।
महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि वर्तमान में सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों के Provisional पेंशन प्रकरण Offline IFPMS 2.0 पर निस्तारित किये जा रहे हैं। दिनांक 30.09.2023 के पश्चात सेवानिवृत्त होने वाले ऐसे कार्मिक जिनका वेतन Paymanager से आहरित होता है एवं जिनके विरुद्ध विभागीय जांच लम्बित है, उनका Provisional पेंशन प्रकरण IFMS 3.0 पर Departmental Enquiry(DE) Mark करते हुए ऑनलाईन अग्रेषित कराया जाना सुनिश्चित करावें।

भवदीय



(डॉ० देवराज)

निदेशक

दिनांक :

क्रमांक :- एफ.12 (26)/कम्प्यू./आईएफपीएमएस/10/

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. परियोजना निदेशक (IFMS 3.0) एवं अतिरिक्त निदेशक (IFMS), कोष एवं लेखा विभाग, जयपुर, राजस्थान।
2. अतिरिक्त निदेशक (मुख्यालय/नियम/प्रशासन/पीजीआरसी) जयपुर, राजस्थान।
3. अतिरिक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर/अजमेर/कोटा/उदयपुर/जोधपुर/बीकानेर/भरतपुर/जयपुर।
4. (i) श्री योगेश सिंह परमार, निदेशक (IT), एन.आई.सी., जयपुर, राजस्थान को प्रेषित कर लेख है कि उक्तानुसार दिनांक 30.09.2023 के पश्चात सेवानिवृत्त पेंशनर्स के Provisional पेंशन प्रकरण IFPMS 2.0 पर रोकने का प्रावधान करने का श्रम करावें, जिन पेंशन प्रकरणों में LR Number IFPMS 2.0 से generate हो गये हैं, वह सभी प्रकरण IFPMS 2.0 पर ही Settle होंगे।
(ii) श्री योगेश सिंह परमार, निदेशक (IT), एन.आई.सी., जयपुर, राजस्थान को प्रेषित कर लेख है कि यह भी सुनिश्चित करावें कि अखिल भारतीय सेवा के Provisional पेंशन प्रकरणों में Gratuity देय नहीं है।
5. श्रीमती मोनिका चौधरी, संयुक्त निदेशक (आई.टी.), IFMS 3.0 Team जयपुर को प्रेषित कर लेख है उक्तानुसार दिनांक 30.09.2023 के पश्चात सेवानिवृत्त पेंशनर्स के Provisional पेंशन प्रकरण प्राप्त करने का प्रावधान IFMS 3.0 में सुनिश्चित करावें तथा यह भी सुनिश्चित करावें कि अखिल भारतीय सेवा के Provisional पेंशन प्रकरणों में Gratuity देय नहीं है।

अतिरिक्त निदेशक (मुख्यालय)